पत्रांक–10/स्थापना व्यय आ0–16/2025 83/सा0 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, गोड्डा, दुमका, चतरा,
धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं प0 सिंहभूम, चाईबासा।

राँची, दिनांक– 18-11-2025

विषयः– स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–093–जिला स्थापनाएँ, उपशीर्ष–01–जिला प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु विभिन्न इकाईयों में कुल ₹8,35,72,100/- (आठ करोड़ पैंतीस लाख बहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–600/स्था0, दिनांक–15.10.2025, उपायुक्त, राँची के पत्रांक–888/नजा0, दिनांक–06.11.2025, उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–771/स्था0, दिनांक–07.10.2025, उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक–355/नजा0, दिनांक–17.10.2025, उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–337/स्था0, दिनांक–04.10.2025, उपायुक्त, चतरा के पत्रांक–753/स्था0, दिनांक–21.10.2025, उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–103 (A)/स्था0, दिनांक–11.10.2025, उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–1043/स्था0, दिनांक–07.11.2025, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–515/नजा0, दिनांक–20.09.2025, उपायुक्त, दुमका के पत्रांक–813/स्था0, दिनांक–24.10.2025 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न इकाईयों में कुल ₹8,35,72,100/- (आठ करोड़ पैंतीस लाख बहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

PTO

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

17/11

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 83/311 राँची, दिनांक– 18-11-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/11/XXV

सरकार के सचिव।

10/स्थापना व्यय आ0–16/2025.....23/27.रा., रांची, दिनांक–18-11-2025

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–093–जिला स्थापनाएँ, उपशीर्ष–01–जिला प्रशासन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि का आवंटन विवरणी –

क्र.	कार्यालय	DDO Code	वेतन	देशीय यात्रा भत्ता	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	वर्दी	मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मति	योग
1	उपायुक्त, राँची	RNCDAD 002	0	0	3500000	500000	0	3500000	**7500000**
2	उपायुक्त, गुमला	GMLDAD 002	0	0	1500000	0	0	1000000	**2500000**
3	उपायुक्त, हजारीबाग	HZBDAD 011	19000000	0	1000000	50000	0	1000000	**21050000**
4	उपायुक्त, प0 सिंहभूम	SGHDAD 017	0	482100	0	0	0	0	**482100**
5	उपायुक्त, लोहरदगा	LDGDAD 009	0	0	1000000	0	0	500000	**1500000**
6	उपायुक्त, गोड्डा	GDDDAD 020	0	140000	0	0	0	0	**140000**
7	उपायुक्त, दुमका	DMKDAD 012	21000000	0	0	0	100000	0	**21100000**
8	उपायुक्त, चतरा	CTRDAD 004	8000000	0	500000	0	0	300000	**8800000**
9	उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम	JSRDAD 001	0	0	2000000	0	0	0	**2000000**
10	उपायुक्त, धनबाद	DHNDAD 001	18500000	0	0	0	0	0	**18500000**
कुल योग			**66500000**	**622100**	**9500000**	**550000**	**100000**	**6300000**	**83572100**

17/11/2025

(चन्द्रशेखर)
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, राँची।